कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

-:: निविदा सूचना ::-

क्रमांक/ 15194 /जि.ना./2018 रायगढ़, दिनांक 15 अगस्त2018

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर, रायगढ़ के आदेश क्रमांक 13977/वित्त-लेखा/2018, दिनांक 07 अगस्त, 2018 द्वारा जिला कार्यालय (राजस्व स्थापना) रायगढ़ के निम्न शासकीय वाहन को निष्प्रयोजित घोषित किये जाने के फलस्वरूप नीलामी हेतु सीलबंद निविदा दिनांक /08/2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल	निर्धारित अपसेट प्राईज	वाहन जहाँ रखा गया है
1.	CG02-5577	कार	03/2008	₹15,000/- (पंद्रह हजार) मात्र	शासकीय आवास गृह क्र. ई-5 दक्षिण चक्रधरनगर, रायगढ़

नीलामी की शर्ते :-

1. वाहन जहाँ तथा जिस स्थिति में है, कार्यालयीन दिनों में अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे के मध्य वहाँ जाकर अवलोकन किया जा सकता है।
2. निविदाकर्त्ता को निविदा के साथ धरोहर राशि ₹5000/- (पाँच हजार रूपये मात्र) का सावधि जमा रसीद (टी.डी.आर.) कलेक्टर रायगढ़ के हित में तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. निविदा दिनांक 31 /08/2018 को अपरान्ह 3:00 बजे तक ही स्वीकार किया जावेगा तथा दिनांक 31 /08/2018 को शाम 5:00 बजे निविदाकर्त्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी।
4. जिस निविदाकर्त्ता द्वारा वाहन की कीमत सबसे अधिक आंकी जावेगी, उसे वाहन उठाने के पूर्व कम से कम पूरी कीमत की आधी राशि तत्काल जमा करनी होगी ।
5. निविदा स्वीकार होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर निविदाकर्त्ता को वाहन उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूर्व में जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
6. वाहन की कीमत प्राप्त नहीं होने पर उक्त नीलामी को निरस्त करते हुए पुनः निविदा बुलाई जावेगी ।
7. निविदा मे दी गई शर्तो का पालन करने के लिए सभी निविदाकर्त्ता बाध्य होंगे तथा इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कलेक्टर, रायगढ़ का मान्य होगा । कोई भी विवाद न्यायालयीन परिधि में नहीं लाया जा सकेगा ।
8. निविदा में दी गई शर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात की जा सकेगी। अन्य परिस्थितियों में अमानत राशि नीलामी की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही वापस की जा सकेगी।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 15195 /जि.ना./2018 रायगढ़, दिनांक 14 अगस्त2018

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
3. प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा, जिला कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)।
4. कोषालय अधिकारी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) ।
5. जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.) ।
6. समस्त अनुविभागीय (रा.)/ तहसीलदार रायगढ़ जिला की ओर कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु अग्रेषित ।
7. सहायक संचालक, जनसंपर्क रायगढ़ को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया संबंधित निविदा की पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रायगढ़ को जिले की वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अपलोड करने बावत् ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)